उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

08/10/21 पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय कांटा पेश हुई। विपक्षी क्रं. 13 से 23 द्वारा लिखित जवाब पेश किया। जवाब शामिल पत्रावली किया गया। मजीद जानकारी ली गई तथा भू अभि. धारक तहसीलदार गुड़ामालानी व राजस्व कार्मिकों के साथ मौके पर उपस्थितों के निवास प्रस्तावित रास्ते के खसरा नं. 308, 307 व 311 का मौका देखा गया। भू अभि. धारक तहसीलदार गुड़ामालानी से मौका रिपोर्ट ली गई तथा रिपोर्ट क्रमांक दि. 8/10/21 पेश हुई शामिल पत्रावली की गई। निर्णय अलग से लिखा जाकर ग्राम पंचायत मुख्यालय कांटा मुकाम खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णय मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो।

कुमसाराम

इसराराम

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:10:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गुडामालानी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

मु.न. **337/2013**

प्रार्थी

1. केवदाराम पुत्र गुणेशाराम
   जाति मेगवाल निवासी बांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. उकाराम पुत्र देरामाराम
2. ईशराराम पुत्र देरामाराम
3. भीमाराम पुत्र देरामाराम
4. चम्पालाल पुत्र देरामाराम
5. मालू पत्नी देरामाराम
6. जगू पुत्र पूनमा
7. गेना पुत्र पूनमा
8. टीपूदेवी पत्नी जगूराम
9. सीतादेवी पत्नी गेनाराम
10. शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे हाल एसबीआई गुड़ामालानी
11. शाखा प्रबन्धक एसबीआई गुड़ामालानी
12. तहसीलदार गुड़ामालानी
13. अमरा पुत्र भाना
14. तुलसा पुत्र भाना
15. रिडमल पुत्र भाना
16. हस्ताराम पुत्र किरताराम
17. सोनाराम पुत्र किरताराम
18. छोगाराम पुत्र किरताराम
19. दीपाराम पुत्र किरताराम
20. मीरा पत्नी किरताराम
21. शंकरा पुत्र मेहरा
22. छगना पुत्र मेहरा
23. दुरगा पुत्रमेरामा
    जातियान भांभी निवासी बांटा निवासी गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 2010

–: निर्णय :–

दिनांक :– 08.10.2021
(प्रशासन गावों के संग अभियान)

प्रार्थी ने दिनांक 12.09.2013 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बांटा पटवार क्षेत्र बांटा तहसील गुड़ामालानी में स्थित [illegible] म्बर 308 रकबा 11–17 बीघा किस्म बा. दो. में आवागमन [illegible] ग्राम बांटा के खेत खसरा नम्बर 307 में से [illegible] कटाण मार्ग तक जाता है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 308 से कटान मार्ग तक जाने हेतु पीढियों पुराना वक्त जागीर एवं वक्त बन्दोबस्त से खेत ग्राम बांटा के खसरा नम्बर 307 में से सार्वजनिक रास्ता चलता है तथा इस रास्ते का प्रार्थी, आस–पड़ौस के कृषक, स्कूल जाने के लिये विद्यार्थी तथा कटान मार्ग से प्रार्थी व अन्य खातेदार द्वारा अपनी ढाणियों में आने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:10:04 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल

जाने का उपयोग में लेते आ रहे हैं। प्रार्थी के द्वारा संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में दर्शाये हरा रंग में मार्क रास्ता जो चौड़ाई में 20 फीट है, हेतु स्थित राजस्व कटान रास्ता से जुड़ता विप्रार्थीगण की आई भूमि खसरा नम्बर 307 से होते आगे प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 308 की भूमि में प्रवेश होने तक आवागमन हेतु एवं कृषि उपयोग हेतु राजस्व कटाण मार्ग राजस्व अभिलेख में रास्ता के रूप में अपलिखित कर अमलदरामद करने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तथा विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जबाव आदि प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी से रिर्पोट प्राप्त की तथा दिनांक 24.06.215 को ग्राम पंचायत मुख्यालय बांटा में आयोजित राजस्व लोक अदालत शिविर/कोर्ट केम्प में पत्रावली रखी जाकर मजमेआम दौनों पक्षों को सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता बताते हुए संलग्न परिशिष्ठ ''अ'' के अनुसार रास्ता घोषित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर आपत्ति जाहिर करते हुए विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि तहसीलदार गुड़ामालानी की रिर्पोट दिनांक 27.01.2014 में प्रस्तावित रास्ते की जगह में हमारा पक्का मकान रहवासी बना है ऐसी स्थिति में प्रस्तावित रास्ते की जगह रास्ता दिया जाना उचित नहीं है साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा पुनः हमारे घर की जगह को छोड़ते हुए व पडौसी खसरों में से न्यायालय उचित समझे तो टीम गठित कर पुनः मौका रिर्पोट मंगवाई जाकर न्याय प्रदान करावें। तहसीलदार गुड़ामालानी की मौका रिर्पोट अनुसार प्रार्थी केवदाराम की खातेदारी भूमि ग्राम बांटा के खसरा नम्बर 308 रकबा 11–17 बीघा में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 307 विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से ही होकर सरकारी कटाण मार्ग खसरा संख्या 312 तक आवागमन के लिये केवल एक मात्र यही रास्ता है, प्रार्थी ने रास्ता खसरा नम्बर 307 की उत्तरी पूर्वी माठ पर चाहा है जहां नजरी नक्शे में अंकित मार्क ''A'' पर अप्रार्थीगण ने न्यायालय में आवेदन के पश्चात रास्ता नहीं देने की लिये रहवासीय पक्का मकान बना दिया है। इसलिये प्रार्थी के आवागमन हेतु नजरी नक्शे में अंकित बरंग लाल अप्रार्थीगण की ढाणी को छोड़ते हुए दर्शाया रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तावित उक्त रिर्पोट को मजमेआम उपस्थित मौजीज लोगों ने सही होना बताया, जिस पर तहसीलदार गुड़ामालानी की रिर्पोट को मजमेआम की सहमत अनुसार मौजा बांटा के खसरा नम्बर 308 को खसरा नम्बर 312 के राजस्व कटाण मार्ग से जोड़ने हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 307 में प्रदर्शित नक्शे [illegible] लाल प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित होने से दिनांक 24.06.2015 को ग्राम पंचायत मुख्यालय बांटा में आयोजित शिविर में मजमेआम रास्ता घोषित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:10:04 IST
Reason: SelfAttested

उक्त निर्णय दिनांक 24.06.2015 से असन्तुष्ठ होकर विप्रार्थी संख्या 1 ता 5 द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 6 ता 12 के विरूद्ध अपील पेश की गई। जिसमें दौनों पक्षों को सुनकर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर द्वारा अपना निर्णय दिनांक

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

30.06.2015 इस प्रकार पारित किया कि – **"बहस उभय पक्ष एवं रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश से दिया गया रास्ता निकटतम है। प्रत्यर्थी के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है एवं वर्तमान में प्रस्तावित रास्ते पर ढाणी बनी हुई है अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2015 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि खसरा नम्बर 311 के खातेदार को भी सुना जाकर पुनः आदेश पारित किया जावे।"**

प्रकरण माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णिय दिनांक 24.06.2015 द्वारा रिमाण्ड होने पर निर्णय में दिये गये निर्देशानुसार खसरा संख्या 311 के खातेदारों को बतौर विप्रार्थीगण संख्या 13 से 22 प्रकरण में पक्षकार बनाया गया तथा जरिये नोटिस तलब कर सुनवाई का अवसर दिया गया।

पत्रावली आज दिनांक 08.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय बाटा प्रस्तुत हुई। खसरा संख्या 311 के खातेदार विप्रार्थीगण संख्या 13 से 22 ने मजमेआम उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का लिखित जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी केवदाराम द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मौजा बांटा के खसरा नम्बर 308 रकबा 11–17 बीघा से कटान मार्ग तक आने–जाने के लिये खसरा नम्बर 307 में से रास्ते हेतु श्रीमान के न्यायालय में आवेदन किया था। प्रार्थी द्वारा अपने इस आवेदन में न्यायालय से निवेदन किया था कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 308 से कटान मार्ग तक जाने हेतु पीढियों पुराना वक्त जागीर एवं वक्त वन्दोबरस्त से ग्राम बांटा के खेत खसरा नम्बर 307 में से सार्वजनिक रास्ता चलता है, इस रास्ते का प्रार्थी, आस–पड़ौस के कृषक, स्कूल जाने के लिये विद्यार्थी उपयोग में लेते हैं। जिसे राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पर माननीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी से मौका की रिर्पोट मंगाई गई। तहसीलदार की मौका रिर्पोट दिनांक 27.01.2014 में तहसीलदार ने इसी रास्ते को प्रार्थी का इकलौता विकल्प बताया तथा अपनी रिर्पोट में निवेदन किया कि प्रार्थी के रास्ते के आवेदन करने के बाद रास्ता नहीं दिये जाने की नियत से रास्ते की प्रस्तावित भूमि पर खसरा संख्या 307 के खातेदारों ने एक मकान बना दिया है। उस मकान को छोड़ते हुए तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा रास्ता की मौका रिर्पोट प्रस्तावित की गई। माननीय श्रीमान के न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा इस खसरा नम्बर 307 में से पीढियों से उपयोग में लिये जा रहे इस रास्ते को खसरा संख्या 307 के खातेदार द्वारा नये बनाये गये मकान को छोड़ते हुए तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तावित रिर्पोट के अनुसार ही प्रार्थी को रास्ता दिये जाने के आदेश दिनांक 24.06.2015 को राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत मुख्यालय बांटा में मजमेआम आमजन को [illegible] किये गये। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 24.06.2015 [illegible] खसरा संख्या 307 के खातेदारों द्वारा माननीय [illegible] अधिकारी बाड़मेर को अपील कर दी और अपील में माननीय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के समक्ष गतल तथ्यों को बयान करते हुए हम विप्रार्थीगण संख्या 13 से 23 के खसरा नम्बर 311 में से रास्ता दिये जाने का कथन कर दिया। इसलिये माननीय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर ने खसरा संख्या 307 के खातेदारों की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए श्रीमान का आदेश दिनांक 24.06.2015 को अपास्त कर यह

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
[illegible]
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:10:04 IST
Reason: SelfAttested

निर्देश दिये कि खसरा संख्या 311 के खातेदारों को सुना जाकर पुनः आदेश पारित करें। हम खसरा संख्या 311 के खातेदारों अर्थात विप्रार्थीगण संख्या 13 से 23 का बिनम्र निवेदन है कि प्रार्थी केवदा व इनके पूर्वज भी खसरा संख्या 307 में से पीढियों से चल रहे रास्ते का उपयोग करते रहे हैं। इस रास्ते से टैक्टर आदि चलता था, यह एक आम सार्वजनिक रास्ता है। रास्ता नहीं दिये जाने की नीयत से ही खसरा संख्या 307 के खातेदारों ने यह एक और नया मकान बना दिया है जो कानूनन गलत है इसी मंशा के अनुरूप श्रीमान द्वारा दिनांक 24.06.2015 को तहसीलदार गुड़ामालानी की रिर्पोट अनुसार खसरा संख्या 307 के खातेदारों द्वारा बनाये गये नये मकान को छोड़ते हुए पीढियों से चल रहे खसरा 307 में से ही रास्ता दिये जाने के आदेश किये गये थे। हम विप्रार्थीगण गरीब व अनपढ ग्रामीण लोग हैं हमारी भूमि को हड़पने की नीयत से खसरा संख्या 307 के खातेदारों ने हमारे खसरा संख्या 311 के खातेदारों की भूमि में से रास्ता दिये जाने की बात कही है। प्रार्थी व खसरा संख्या 307 के खातेदार आपस में मिल गये हैं और हमें नुकशान पहुंचाने की नीयत से हमारी खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 311 में जबरन रास्ता निकालना चाहते हैं। अतः निवेदन है कि श्रीमान के आदेश दिनांक 24.6.2015 के अनुसार ही खसरा संख्या 307 में रास्ता दिये जाने आदेश प्रदान करावें। हमारी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 311 में से पूर्व में कभी भी किसी प्रकार का रास्ता नहीं चलता था और ना ही वर्तमान में चलता है। प्रार्थी के कटान मार्ग तक पहुचने के लिये नजदीकी भी खसरा संख्या 307 में से ही पीढियों पुराना रास्ता था जिसे विप्रार्थी खसरा संख्या 307 के खातेदारों की नीयत में खोट आने से मकान बनाकर रूकावट पैदा की और अब अपील करके हमारी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 311 में रास्ता दिलाने की चाल चल दी है। अतः हमारी प्रार्थना स्वीकार कर श्रीमान स्वयं मौका मुआयना कर एवं मजमेआम ग्राम बांटा की जनता से जानकारी भी ली जावे कि पीढियों से खसरा नम्बर 307 में से प्रार्थी द्वारा रास्ते का उपयोग किया जा रहा था या नहीं। श्रीमान पूर्ण सन्तुष्टि करने के बाद ही रास्ते के आदेश पारित करावें।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया तथा मजमेआम जानकारी ली गई तथा पीठासीन अधिकारी स्वयं ने भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी व राजस्व टीम एवं गांव के मौजीज व्यक्तियों के साथ विवादित खसरा संख्या 307, 308 व 311 की भूमि पर जाकर मौका निरीक्षण किया गया। तथा मौके पर ही तहसीलदार गुड़ामालानी को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिये गये। भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 17 दिनांक 08.10.2021 प्रस्तुत कर अपनी रिर्पोट में स्पष्ट किया कि खसरा नम्बर 311 में मेड़ के पास आवासीय ढाणियां वर्षो पुरानी बनी हुई हैं। खसरा नम्बर 308 के [illegible] आवागमन हेतु खसरा नम्बर 307 में पूर्व में तैयार की गई रिर्पोट दिनांक [illegible]7.01[illegible]4 को प्रस्तुत की गई थी जिसमें रिर्पोट तैयार करने के [illegible] नहीं देने की नीयत से खसरा नम्बर 307 व 311 की मेड [illegible] खसरा नम्बर 308 के लगती हुई संलग्न नक्शे में 'A' प्रदर्श स्थान पर स्न[illegible]र एवं 'B' स्थान पर आवासीय पक्की ढाणी व 'C' स्थान पर पेयजल हेतु पक्का टांका एवं ढाणी की चारदीवारी(बाड़) बनाकर अवरोध पैदा कर दिया है। जिससे 307 एवं 311 की मेड़ पर रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। उक्त खसरा नम्बर 308 में पहुंचने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शे अनुसार '30 गट्ठा x 3 गट्ठा' =

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:10:04 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

20 फीट चौड़ा रास्ता रकबा 0–04 बीघा भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की है जो नक्शा ट्रेस में बरंग लाल दर्शायी गई है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से व मौका देखने से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 308 से खसरा नम्बर 312 कटान मार्ग तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 307 में से ही पूर्व में रास्ता चलायमान था तथा तहसीलदार गुड़ामालानी की पूर्व व वर्तमान मौका रिपोर्ट अनुसार भी सबसे नजदीकी विकल्प प्रतीत होता है। इस तथ्य को माननीय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.06.2016 में स्पष्टरूप से स्वीकार किया है कि **"बहस उभय पक्ष एवं रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश से दिया गया रास्ता निकटतम है। प्रत्यर्थी के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है एवं वर्तमान में प्रस्तावित रास्ते पर ढाणी बनी हुई है।"** इस प्रकार तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पुनः प्रस्तुत मौका रिपोर्ट क्रमांक 17 दिनांक 08.10.2021 द्वारा प्रस्तावित खसरा संख्या 307 में से बरंग लाल मार्क अनुसार प्रार्थी को प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 308 से कटान मार्ग तक रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट क्रमांक–भू.अ./2021/17 दिनांक 08.10.2021 द्वारा परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए बरंग "लाल" अनुसार सरकारी सड़क मार्ग से प्रार्थी की आराजी खेत खसरा संख्या 308 मौजा बांटा में जाने हेतु विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 के खेत खसरा संख्या 307 मौजा बांटा में से लम्बाई 30 गट्ठा चौड़ाई 3 गट्ठा (कुल रकबा 0–04 बीघा भूमि) 'रास्ता' घोषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट 'अ' मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

प्रार्थी द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:10:04 IST
Reason: SelfAttested

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा प्रार्थी को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरांत बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
[illegible]

(13)

क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी।

प्रार्थीगण को इस प्रकार दर्ज 0–04 बीघा भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे।

रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया लम्बाई 30 गट्ठा चौड़ाई 3 गट्ठा (कुल रकबा 0–04 बीघा भूमि) रास्ता दिए जाने के आदेश आज दिनांक **08.10.2021** को **प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 शिविर/कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय बांटा** में दिए जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **08.10.2021** को खुले न्यायालय मजमेआम में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:10:04 IST
Reason: SelfAttested